155

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 17—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—12—2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 53/2004—05/अपील

.....

महिला श्री कुअंर पत्नी राजेन्द्र सिंह
निवासी— गोअरा, तहसील मेहगांव
जिला—भिण्ड(म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

होतम सिंह पुत्र भंव सिंह (मृतक) वारिसान—
1— श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व0 श्री होतम सिंह
2— नरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री होतम सिंह
निवासीगण—ग्राम गौअरा, तहसील मेहगांव,
जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री आशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16—1—2017 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—12—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोअरा स्थित आराजी क्रमांक 2603 रकबा 0.627 आरे का आवेदिका भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है जिसके पास शासकीय नम्बर 2599 रकबा .84 है0 स्थित, जिसके आवंटन हेतु आवेदन ग्राम पंचायत की अनुशंसा से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार व उद्घोषणा जारी की गई। वाद अवधि कोई आपत्ति न आये । प्रकरण में रिपोर्ट मौजा पटवारी मंगाई गई।

पक्षियों के कथन लिये गये तथा दिनांक 06.09.1996 को विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका का नामांतरण विवादित भूमि पर किया । इसी आदेश दिनांक 06.09.1996 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा 8 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 87/2003–04/अ.मा. में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 05.02.2005 द्वारा अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त में प्रकरण क्रमांक 53/2004–05/अपील पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 16.12.2005 द्वारा अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16.12.2005 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अनावेदक होतम सिंह ने अपने जीवनकाल में माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.02.2010 को राजीनामा प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि, जिसका पुराना सर्वे नम्बर 2599 था तथा नया नम्बर 1344 हो गया है, श्रीकुअंर का रहेगा तथा अपने शपथ पत्र में होतम सिंह ने यह भी लिखा है कि, मैंने विवादित आराजी पर जो अपील की है वह रंजिशन की थी। वास्तविकता में जमीन श्रीकुअंर की ही है। मैंने जो दावा किया है वापिस लेता हूँ, अर्थात् मेरे द्वारा जो दावा किया गया है उसे खारिज किया जावे तथा शपथ पत्र में यह भी लिखा है कि, आराजी सर्वे क्रमांक 1344 व 1345 पर श्रीकुअंर व राजेन्द्र सिंह जिस प्रकार उपयोग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक होतम सिंह द्वारा राजीनामा स्वच्छा से बिना किसी दबाव बहकाव या प्रलोभन के माननीय न्यायालय में किया है, राजीनामा पेश करने के बाद होतम सिंह या उसके वारिसानों की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई है कि राजीनामा धोखे से या किसी दबाव या बहकाव प्रलोभन से कराया गया था। होतम सिंह द्वारा किये गये राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में निगरानी विचार योग्य नहीं रही है। अनावेदक होतम सिंह के वारिसान होतम सिंह द्वारा किये गये राजीनामा व राजीनामा में की गई स्वीकारोक्ति से बन्धे हुये है अर्थात् होतम सिंह के वारिसानों को निगरानी संचालित रखने का कोई अधिकार नहीं हैं होतम सिंह के वारिसानों पर भी विचारण न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश लागू होता है। उन्होंने लिखित तर्क में यह भी कहा है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इश्तहार बावत् निकाला गया यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है। इश्तहार दिनांक 27.07.1996 के लिये

था। दिनांक 27.07.1996 को प्रकाशित नहीं हो सकने के कारण ही उक्त दिनांक को काट कर 18.08.1996 अंकित कर इश्तहार प्रकाशित किया गया है। इश्तहार के प्रोफार्मा का उपयोग नहीं हुआ है तब पुनः नये रूप से इश्तहार के प्रोफार्मा बनाना आवश्यक नहीं था। अपील/निगरानी की अनुमति के आवेदन से निगरानीकर्ता को यह बताना आवश्यक है कि वह किस प्रकार से विवादित भूमि में या सम्पत्ति में हित रखता है अर्थात् वह हितबद्ध पक्षकार है। अपील/निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति तब ही दी जा सकती है जब प्रस्तुतकर्ता यह सिद्ध कर दे की वे वह विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध है। अनावेदक होतम सिंह ने ना तो निगरानी की अनुति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रथम अपील न्यायालय में प्रस्तुत किया था और न ही यह सिद्ध किया था ह विह किस प्रकार से हितबद्ध हैं । अनावेदक के स्वामित्व की भूमि विवादित भूमि से लगी हुई नहीं है और न ही उसका कब्जा रहा है। उक्त तथ्य होतम सिंह ने स्वयं अपने राजीनामा व शपथ पत्र में स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस न्यायिक दृष्टांत 1996 आर.एन. 351 यशवंत सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकाला है कि विलम्ब माफी पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिये, सामन्यतः विलम्ब माफ किया जाना चाहिये पूर्णतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की मनसा के विपरीत है। न्यायालय आनन्द लेने का स्थान नहीं कि पक्षकार की जब मर्जी हो तब न्यायालय के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत कर दे। उदाररूख से तत्पर्य ऐसे कारण से है जो यथासमय पूर्ण सावधानी बरतने के बाद भी या तो जानकारी न हो सकी हो या सार्मथ से बाहर हो। विवादित सर्वे न0 2599, जिसका नया सर्वे न0 1344 हो गया है वह प्रार्थिया के निजी स्वतव स्वामित्व के सर्वे नम्बर 2603 जिसका नया नम्बर 1331 हो गया है से लगा हुआ है, जबकि विवादित सर्वे नम्बर 2599 नया नम्बर 1344 अनावेदक होतम सिंह के स्वामित्व के सर्वे नम्बर 2370 व 2598 के कतई लगा हुआ नहीं है। राजस्व नक्शा संलग्न किया गया है। अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है

कि आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय, मेहगांव के समक्ष ग्राम गोअरा की विवादित भूमि शासकीय सेड़ा को उसकी आराजी क्र0 2603 रकबा .627 है0 में व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी करने के आदेश दिये। दिनांक 09.07.96 को दिये गये आदेश के बाद दिनांक 31.07.96 को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इश्तहार जारी किया गया, जिसमें दिनांक 31.08.96 तक आपत्ति बुलाई गई। प्रकरण के अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि पंचनामा के गवाह रघुवीर सिंह एवं भागीरथ ने पंचनामा और इश्तहार के प्रकाशन गवाह के रूप में अपने–अपने हस्ताक्षर किये और भागीरथ द्वारा ही आवेदिका के पक्ष में कथन किये गये। इश्तहार के प्रकाशन के दिनांक में भी काटपीट की गई है। पहले दिनांक 27.07.96 और फिर 18.08.96 इश्तहार प्रकार का दिनांक अंकित किया गया है, इससे इश्तहार के प्रकाशन की प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वह उन काश्तकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देते, जिन काश्तकारों की भूमि विवादित भूमि से लगी थी और उसके बाद ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा से विधिवत राय प्राप्त कर विवादित भूमि का व्यवस्थापन करते । विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मात्र आवेदिका को लाभ पहुॅचाने के लिये उक्त अस्पष्ट कार्यवाही कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि अपील की अनुमति लेने संबंधी तकनीकी आधार पर अनावेदक की अपील निरस्त करने में भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव अगर चाहते तो अपील की अनुमति का आवेदन पत्र अनावेदक को प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित कर सकते थे। न्याय दृष्टांत 1996 राजस्व निर्णय 351 यशवन्त सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " विलंब माफी पर जब विचार किया जा रहा हो तो उदार रूख अपनाया जाना चाहिये।" सामान्यता विलंब माफ किया जाना चाहिये तथा मामला सुनकर गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये।" इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश को विधिसम्मत नहीं माना है और अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.02.2005 निरस्त किया है तथा प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने जो आदेश पारित किया है, विधिसम्मत है । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर